(287)

395

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, कैम्प रीवा म0प्र0

R. 2130-II/2015

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

श्री अयूपदेव पाण्डेय एड०
द्वारा पेश। 8.5.15

लकर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

श्यामजू पिता रामजियावन गहेरी, निवासी ग्राम नौगढ़, तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली म0प्र0, हाल मुकाम ग्राम जीर, पटवारी हल्का पोड़ीपाठ तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0 — — आवेदक

130
8.5.15

बनाम

मध्य प्रदेश शासन -- —— अनावेदक

आवेदन पत्र बाबत सक्षम न्यायालय मे निगरानी /आवेदन प्रस्तुत करने हेतु ।

===============================

क्रमांक 5518
... पेश ... आज
... प्राप्त
1-6-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

आवेदन के आधार निम्न है:-

1:- यह कि उक्त उन्वान की निगरानी माननीय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के न्यायालय मे प्रस्तुत की गई थी, लेकिन दायरा तर्क के समय अपर आयुक्त महोदय द्वारा इस निगरानी प्रकरण को इस आधार पर सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु वापस किया गया है कि अपर आयुक्त महोदय को निगरानी प्रकरण सुनने की अधिकारिता प्राप्त नही है ।

2:- यह कि प्रस्तुत निगरानी प्रकरण माननीय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के न्यायालयसे उक्त आदेशानुसार सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु आज दिनांक 8.5.15 को वापस प्राप्त किया गया है, और आज दिनांक 8.5.15 को ही सक्षम न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, कैम्प रीवा मे प्रस्तुत किया जारहा है ।

अस्तु आवेदन प्रस्तुत कर विनय है कि आवेदन पत्र केसाथ संलग्न निगरानी प्रकरण को ग्राह्य करते हुये, अग्रिम कार्यवाही किये जाने की दया की जाय।

आवेदक
श्यामजू पिता रामजियावन गहेरी,

दि. 8.5.15

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–2130-II / 15** जिला–सिंगरौली

श्यामजू गड़ेरी / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 29 / निगरानी / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम. शर्मा), सदस्य	